5

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 61/2022
धर्मपाल पुत्र भंवरलाल, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
——— अपीलान्ट

अपील संख्या 112/2022
पवन कुमार पुत्र भागीरथ, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
——— अपीलान्ट

अपील संख्या 115/2022
वीरसिंह पुत्र राजेश्वर, जाति गोस्वामी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
——— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
——— रेस्पोडेन्ट

———

प्रथम अपील अ0 सेक्शन 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 04.08.2021 न्यायालय तहसीलदार चिडावा बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल, मुकदमा नम्बर 93/2021, उनवानी सरकार बनाम पवन कुमार, मुकदमा नम्बर 92/2021, उनवानी सरकार बनाम वीरसिंह, मुकदमा नम्बर 91/2021, समस्त मुकदमों मे किस्म मुकदमा धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956

———

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीलें तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। उक्त अपीलों मे प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीले अपीलान्ट्स निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के द्वारा उक्त मुकदमो में पारित निर्णय दिनांकित 04.08.2021 विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक क्रमशः 16.07.2021, 30.06.2021 एवं 28.07.2022 की नियत की जिस पर अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेशकर अवसर चाहा जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक क्रमशः 16.07.2021, 30.06.2021 एवं 28.07.2022 को आईन्दा तारीख पेशी के बारे में अवगत नही करवाया व अदालत मातहत ने बाला—बाला ही दिनांक 04.08.2021 को अपीलान्ट्स की गैरहाजिरी दिखाकर उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलान्ट्स को जवाब, [illegible] व शहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तो का उल्लंघन किया हैं जबकि जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट्स का पूर्ण अधिकार था, जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को उसके पक्ष में मूलभूत जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नही देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नही फरमाया जबकि योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 24 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से क्रमशः 162, 300 एवं 169 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी भाग भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त अतिक्रमी भाग का नियमन बहक अपीलान्ट्स किये जाने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष मामला हाजा को प्रस्तुत करने की सिफारिश नही कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिस कारण से अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा जिसकी वजह से अपीलान्ट्स को न्याय प्राप्त नही हो सका और अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लघंन कर उतावलेपन में उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध व कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है व प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धान्तो का उल्लघंन हुआ है। अदालत मातहत की पत्रावली पर अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता है क्योकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय में यह मानकर बहुत बडी कानूनी भूल की है की उक्त अतिक्रमी भाग किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान का बहक अपीलान्ट कानूनन नियमन नही किया जा सकता था। जबकि गै0मु0 कब्रिस्तान भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किये जाने मे कानून मे व पट्टा जारी करने में कोई रूकावट नही है। उक्त अतिक्रमी भाग भूमि पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है जो मौजूदा समय में लगा हुआ है व जल कनेक्शन भी जलदाय विभाग द्वारा दिया गया है जो मौके पर लगा हुआ है व उक्त भूमि का तहसीलदार चिड़ावा द्वारा जारी पट्टा भी अपीलान्ट्स के पास है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा साबित है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नही किया और जान बूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के द्वारा दायर यह अपील प्रथम ही है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 75(1) के तहत पेश है। अतः अपीलें अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमों मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

उपर्युक्त तीनों प्रकरण एक ही ग्राम, एक ही खसरा नम्बर, एक ही भूमि किस्म होने से उक्त प्रकरणों मे एक साथ बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया हैं। अदालत [illegible] नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 24 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में [illegible] 162, 300 एवं 169 वर्गमीटर भूमि पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर बेद[illegible] दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि अपीलान्ट्स का मुख्य ध[illegible] मजदूरी है तथा [illegible]लान्ट्स के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है तथा उक्त अतिक्रमी [illegible] की आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्ट्स कर आबा[illegible] हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिस कारण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलान्ट्स को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। विवादित भूमि के मौके पर अपीलान्ट्स का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्ट्स व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्ट्स को विद्युत व जल कनेक्शन भी संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा के द्वारा बमुकदमा उपर्युक्त उनवानी किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 24 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से कमशः 162, 300 एवं 169 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिकमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म कब्रिस्तान की है जिस पर अतिकमण करने का अपीलान्ट्स को कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट्स की यह अपीले खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट्स ने ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 24 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से कमशः 162, 300 एवं 169 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिकमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट्स को गै0मु0कब्रिस्तान की भूमि पर अतिकमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट्स की अपीले एक साथ खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपीले खारीज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.06 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested